क्षेत्रीय कार्यालय

# राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षेका किश/पीयूबी–140/ दिनांक :

## पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राम प्रसाद जाट एम.एल संख्या 27/2020 द्वारा नायकी एवं मेवदाकलां ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

| क्र. स. | प्रोजेक्ट का नाम | खनन पटटा संख्या | ग्राम | क्षेत्रफल हैक्टेयर में | खनिज | उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ. एम.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राम प्रसाद जाट पुत्र श्री नन्दाराम खसरा संख्या 1298 | 27/2020 | नायकी | 1.1127 | ग्रेनाइट | 120002 |
| 2 | श्री मुन्नी पुंगव माइंस एवं मिनरल्स | 20/2018 | मेवदाकलां | 1.6336 | ग्रेनाइट | 240000 |
| 3 | मैसर्स ए.बी. ग्रेनाइटस | 37/2018 | मेवदाकलां | 1.9949 | ग्रेनाइट | 284746 |
| 4 | श्री घनश्याम सैनी | 19/2018 | नायकी | 1.5495 | ग्रेनाइट | 189216 |
| 5 | मैसर्स राठौड बद्रर्स | 21/2018 | नायकी | 2.8341 | ग्रेनाइट | 203000 |
| 6 | श्री शंकर लाल | 55/2018 | नायकी | 2.2847 | ग्रेनाइट | 279450 |
| 7 | श्री नाथू लाल चौधरी | 12ए/2013 | नायकी | 1.00 | ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन | 77000 |

**कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 12.4095 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–1393414 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम नायकी एवं मेवदाकलां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर** से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री राम प्रसाद जाट** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/11833 दिनांक 25.10.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 20/12/2021 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

Deepak Tanwar

(दीपक तॅवर)

पर्यावरण अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी